रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 885] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 18, 2013/चैत्र 28, 1935
No. 885] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 18, 2013/CHAITRA 28, 1935

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(विदेश व्यापार महानिदेशालय)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अप्रैल, 2013

सं. 3 (आर.ई.–2013)/2009–2014

विषय : विदेश व्यापार नीति 2009–14 के अध्याय 3 में संशोधन।

का.आ. 1000(अ.)—विदेश व्यापार नीति, 2009–14 के पैरा 2.1 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा, विदेश व्यापार नीति, 2009–2014 में तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करती है :–

2. विदेश व्यापार नीति 2009–14 में एक नया पैराग्राफ 3.14.5 जोड़ा जाता है:–

"3.14.5 वार्षिक आधार पर उत्तरोतर वृद्धि निर्यात प्रोत्साहन योजना (आईईआईएस)"

हकदारी (क) स्कीम का उद्देश्य उत्तरोतर निर्यातों को प्रोत्साहन देना है।

(ख) एक आईईसी धारक निर्यातों के एफओबी मूल्य पर विगत वर्ष (यथा 01.04.2012 से 31.03.2013 की अवधि) की तुलना में मौजूदा वर्ष (यथा 01.04.2013 से 31.03.2014 की अवधि के लिए) उत्तरोतर वृद्धि (आईईसी धारक द्वारा प्राप्त की गई) पर 2% की ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप के हकदार होंगे। उत्तरोतर वृद्धि का आकलन प्रत्येक निर्यातक (आईईसी धारक) के संबंध में समूह कम्पनी के निर्यातों को जोड़े बिना किया जाएगा।

(ग) प्रोत्साहन तभी अनुमत होंगे जब आईईसी धारक ने 2012–2013 की तुलना में वर्ष 2013–2014 में वृद्धि प्राप्त की है। लाभ की मात्रा की गणना विदेश व्यापार नीति 2009–14 के पैरा 3.14.4 (घ) में उल्लिखित पात्रता मानदण्ड के अधीन प्राप्त की गई उत्तरोतर वृद्धि पर की जाएगी।

पात्रता मानदंड : (घ) इस स्कीम के लिए, निर्यात निष्पादन किसी अन्य आईईसी धारक से स्थानांतरित किया जाना अनुमत नहीं होगा। इस स्कीम के तहत लाभ उन निर्यातकों को अनुमत नहीं होंगे जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2011–12 तथा वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान कोई निर्यात नहीं किया था। निम्नलिखित निर्यातों पर निर्यात निष्पादन की गणना अथवा स्कीम के तहत हकदारी की गणना के लिए विचार नहीं किया जाएगा:

(i) आयातित वस्तुओं का निर्यात अथवा अन्तर पोतलदान के माध्यम से किया गया निर्यात।

(ii) एसईजैड/ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपीआई/बीटीपी/एफटीडब्ल्यूजेड से निर्यात।

(iii) मान्य निर्यात

(iv) सेवा निर्यात

(v) तृतीय पार्टी निर्यात

(vi) डायमण्ड, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम तथा किसी भी अन्य रूप में बहुमूल्य धातु जिनमें सादा और जड़ाऊ गहने तथा बहुमूल्य और अर्द्धबहुमूल्य रत्न शामिल हैं।

(vii) सभी बनावट में सभी प्रकार के अयस्क और सान्द्रण।

(viii) सभी प्रकार के अनाज

(ix) सभी प्रकार और सभी रूपों में चीनी

(x) अपरिष्कृत/पैट्रोलियम आयल और अपरिष्कृत/सभी प्रकार और सभी प्रतिपादनों के प्राथमिक तथा मूल उत्पाद

(xi) दुग्ध और दुग्ध उत्पादों का निर्यात

(xii) किसी निर्यातक द्वारा किसी अन्य निर्यातक के लिए किया गया निर्यात निष्पादन

(xiii) एस.ई.जैड़ यूनिटों को की गई आपूर्ति

(xiv) उन मदों पर विचार नहीं किया जाएगा जिनके निर्यात के लिए निर्यात प्राधिकार (स्कोमेट के सिवाय) अपेक्षित हैं।

(xv) मांस और मांस उत्पादों का निर्यात

(xvi) सिंगापुर, यू.ए.ई. और हाँगकाँग को किया गया निर्यात।

विशेष प्रावधान : (ङ) यह स्कीम विशिष्ट क्षेत्रों के लिए है और जिसमें केवल यूएसए, यूरोप और एशियाई देशों के लिए निर्यात शामिल है। इसके अलावा, लातिन अमेरिका तथा अफ्रीका (सार्वजनिक सूचना सं. 03 दिनांक 18 अप्रैल, 2013 में यथा उल्लिखित) में 53 देशों को निर्यात इस लाभ के हकदार होंगे। विदेश व्यापार नीति के पैरा 3.17.10 (ख) के दावा परित्याग प्रावधान लागू नहीं होंगे। यह लाभ अध्याय 3 की किसी भी स्कीम के तहत किए गए लाभ के दावों के अतिरिक्त होगा।

स्क्रिप की उपयोगिता : (च) ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप मुक्त रूप से हस्तान्तरणीय होगी। ऐसी स्क्रिप विदेश व्यापार नीति 2009–14 के पैरा 3.17.5 के अनुसार घरेलू प्राप्ति और सेवा कर की अदायगी के लिए भी पात्र होगी।

3. विदेश व्यापार नीति 2009–14 के पैरा 3.12.4 के अंत में निम्नलिखित को जोड़ा गया है:

" अर्जित की गई विदेशी मुद्रा में एसएफआईएस के लाभ की अनुमति दी जाएगी"

4. विदेश व्यापार नीति 2009–14 के पैरा 3.12.6 (क) के अंत में निम्नलिखित को जोड़ा जाता है :

" वैसे सेवा प्रदाता जो विनिर्माण कार्यकलाप में भी कार्यरत है जिसमें सेवा प्रदाता के विनिर्माण क्षेत्र के व्यवसाय से संबंधित कलपुर्जे भी शामिल हैं अपने एसएफआईएस स्क्रिप का इस्तेमाल पूंजीगत माल का आयात/घरेलू प्रापण (विदेश व्यापार नीति के पैरा 9.12 में दी गई परिभाषा के अनुसार) के लिए भी कर सकते हैं। सेवा प्रदाता के ऐसे विनिर्माण क्षेत्र के व्यवसाय को संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी से एसएफआईएस स्क्रिप पर पृष्ठांकित कराना होगा।"

5. विदेश व्यापार नीति 2009–14 के पैरा 3.12.6(ख) को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :–

" ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप का प्रयोग होटल, ट्रेवल एजेंट्स, टूर आपरेटर अथवा टूर ट्रांसपोर्ट आपरेट्र्स और कंपनियां जो कि गोल्फ रिसार्ट की मालिक हैं/चला रही हैं, के द्वारा मोटर कारों, एसयूवी और सभी प्रयोजनों हेतु वाहनों को व्यावसायिक उपस्कर के तौर पर आयात/घरेलू आपूर्ति मामले में शुल्क की अदायगी के लिए भी अनुमत होगी। ऐसे वाहनों (जो सड़क पर चलाए जा रहे हैं

तथा जिनका पंजीकरण कराना अपेक्षित है) को केवल पर्यटन प्रयोजन के लिए पंजीकृत किया जाएगा। पंजीकरण के प्रमाण–पत्र को आयात/घरेलू प्रापण के छह महीनों के अंदर संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित होगा।

6. विदेश व्यापार नीति के पैरा 3.13.3 को तत्काल प्रभाव से हटाया जाता है।

7. विदेश व्यापार नीति के पैरा 3.13.4 के अंत में उप पैरा (छ) जोड़ा गया :

"स्तर धारक के सहायक विनिर्माता को खाद्य अवसंरचना प्रोत्साहन स्क्रिप के हस्तांतरण की अनुमति प्रदान की जाएगी। ऐसे हस्तांतरण को संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी से खाद्य अवसंरचना प्रोत्साहन स्क्रिप पर पृष्ठांकित कराना होगा।"

8. निम्नलिखित को विदेश व्यापार नीति 2009–14 के पैरा 3.16.3 के अंत में जोड़ा जाता है:–

"एसएचआईएस मूल स्क्रिप धारक की विनिर्माता समूह कम्पनी को स्थानांतरित की जा सकती है चाहे समूह कंपनी एक स्तर–धारक भी नहीं हो। समूह कम्पनी को विदेश व्यापार नीति के पैरा 9.28 में परिभाषित किया गया है। ऐसे स्थानांतरण को संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा पृष्ठांकित किया जाएगा।

9. विदेश व्यापार नीति 2009–14 के पैरा 3.17.2 (i) को तत्काल प्रभाव से हटाया जाता है।

10. 3.17.5(ग) के बाद उप–पैरा (घ) जोड़ा जाता है:–

" एफपीएस, एफएमएस और वीकेजीयूवाई के तहत जारी ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्स सेवाकर की अदायगी के लिए प्रयोग की जा सकती हैं। राजस्व विभाग के नियमों के अनुसार स्क्रिप धारक उसी स्क्रिप में से घटाए गए सेवा कर में से ड्राबैक लाभ/अथवा सैनवेट क्रेडिट के लिए हकदार होंगे।

11. विदेश व्यापार नीति 2009–14 के पैरा 3.17.11 के अंत में निम्नलिखित को जोड़ा गया है:

" ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिपों को विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत संयोजन शुल्क अदा करने, विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत आवेदन शुल्क, यदि कोई हो, को अदा करने तथा प्रक्रिया पुस्तक खंड–1 वर्ष 2009–14 के पैरा 4.28(ख) के अंतर्गत निर्यात दायित्व में होने वाली कमी के भुगतान हेतु उपयोग किया जा सकता है।

इस अधिसूचना का प्रभाव : उत्तरोत्तर निर्यात वृद्धि प्रोत्साहन योजना 2013–14 तथा विदेश व्यापार नीति के अध्याय 3 में, अन्य संशोधनों को अधिसूचित किया जा रहा है।

[फा.सं. 01/61/180/206/एएम–13/पीसी–3]

अनुप के. पूजारी, महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th April, 2013

No. 3 (RE-2013)/2009—2014

Subject : Amendments in Chapter 3 of Foreign Trade Policy 2009-14

S.O. 1000(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 read with Para 2.1 of the Foreign Trade Policy, 2009-2014, the Central Government hereby makes the following amendments in the Foreign Trade Policy (FTP) 2009-14 with immediate effect:

2. A new paragraph 3.14.5 of FTP 2009-14 is added as below:
"3.14.5 Incremental Exports Incentivisation Scheme (IEIS) on annual basis"

Entitlement (a) Objective of the Scheme is to incentivize incremental exports.

(b) An IEC holder would be entitled for a duty credit scrip @ 2% on the incremental growth achieved by the IEC holder) during the current year (for example, say for the period 01.04.2013 to 31.3.2014) compared to the previous year (for example, say for the period from 01.04.2012 to 31.3.2013) on the FOB value of exports. Incremental growth shall be in respect of each exporter (IEC holder) without any scope for combining the exports for Group Company.

(c) Incentive will be admissible only if the IEC holder has achieved growth in the financial year 2013-2014 vis-a-vis financial year 2012-2013. Quantum of benefit will be calculated on the incremental growth achieved subject to eligibility criteria given in para 3.14.4(d) of FTP 2009-14.

Eligibility Criteria (d) For the purpose of the scheme, export performance shall not be allowed to be transferred from any other IEC holder. Benefit under the scheme will not be allowed to an exporter who had made no export during fiscal year 2011-12 and fiscal year 2012-13. The following exports shall not be taken into account for calculation of export performance or for computation of entitlement under the Scheme:

(i) Export of imported goods or exports made through trans-shipment.
(ii) Export from SEZ/ EOU /EHTP /STPI /BTP/FTWZ
(iii) Deemed Exports
(iv) Service Exports
(v) Third Party exports
(vi) Diamond, Gold, Silver, Platinum, other precious metal in any form including plain and studded jewellery and other precious and semi-precious stones.
(vii) Ores and concentrates of all types and in all formations.
(viii) Cereals of all types.
(ix) Sugar of all types and all forms.
(x) Crude / petroleum oil and crude/primary and base products of all types and all formulations.
(xi) Export of milk and milk products.
(xii) Export performance made by one exporter on behalf of other exporter.
(xiii) Supplies made to SEZ units.
(xiv) Items, export of which requires an export authorisation (except SCOMET), will not be considered.
(xv) Export of Meat and Meat Products.
(xvi) Exports to Singapore, UAE and Hong Kong.

Special Provision (e) The scheme is region specific and will cover exports to USA, Europe and Asian countries only. In addition export to 53 countries in Latin America and Africa (as mentioned in Public Notice 3 dated 18th April 2013) will be entitled to this benefit. Disclaimer provisions of para 3.17.10 (b) of FTP shall not be admissible. This benefit will be over and above any benefit being claimed by the exporter under any of the Chapter 3 Schemes.

Utilisation of Scrip (f) The duty credit scrip will be freely transferable. Such scrips shall also be eligible for domestic sourcing and for payment of Service Tax as per para 3.17.5 of FTP 2009-14.

3. The following is added at the end of Para 3.12.4 of FTP 2009-14:
"SFIS benefit will be allowed on the Net Foreign Exchange earned."

4. Following is added at the end of Para 3.12.6(a) of FTP 2009-14:
"Service providers who are also engaged in manufacturing activity can use their SFIS scrip for importing/domestic sourcing of capital goods (as defined in para 9.12 of FTP) including spares related to the manufacturing sector business of the service provider. Such manufacturing sector business of the service provider would have to be endorsed on the SFIS scrip from relevant RA."

5. The following is added at the end of existing Para 3.12.6 (b) of FTP 2009-14:
"Utilisation of Duty Credit Scrip shall also be permitted for payment of duty in case of Import/ domestic sourcing of motor cars, SUV's and all purpose vehicles as Professional Equipment by Hotels, Travel agents, Tour operators or tour transport operators and companies owning/operating golf resorts. Such vehicles (operating on road and requiring registration) will have to be registered for Tourist purpose only. Proof of registration will need to be submitted to RA concerned within 6 months of import/domestic procurement."

6. Para 3.13.3 of FTP stands deleted with immediate effect.

7. Sub para (g) is added at the end of para 3.13.4 of FTP:
"Transferability of the Agri Infrastructure Incentive Scrip shall be allowed to supporting manufacturer of the status holder. Such transferability would have to be endorsed on the Agri Infrastructure Incentive Scrip from relevant RA."

8. Following is added at the end of Para 3.16.3 of FTP 2009-14:

"SHIS can be transferred to a manufacturer group company of the scrip holder even though the group company is not a status holder. Group company is defined in para 9.28 of FTP. Such transfer will have to be endorsed by relevant RA."

9. Para 3.17.2 (i) of FTP 2009-14 stands deleted with immediate effect.

10. Sub para (d) is added after 3.17.5(c) :
"Duty credit scrips issued under FPS, FMS and VKGUY can be used for payment of Service Tax. Scrip holder shall be entitled to avail drawback benefits or CENVAT credit of the Service Tax debited in the said scrip in accordance with DOR rules. "

11. Following is added at the end of Para 3.17.11 of FTP 2009-14 :

"Duty credit scrips can be used for payment of composition fee under FTP, for payment of application fee under FTP, if any and for payment of value shortfall in EO under para 4.28 (b) of HBP v1 2009-14."

Effect of this Notification : The Scheme to incentivize incremental exports for the year 2013-14 and other amendments to Chapter 3 of FTP are being notified.

[F. No. 01/61/180/206/AM13/PC3]

ANUP K. PUJARI, Director General of Foreign Trade

1600 GI/13-2

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.